THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATTYA): (a) 32.

(b) to (d) Under the ESI Scheme, the ESI Corporation constructs 4-hospital beds per one thousand Insured Persons. Accordingly a new 50-beded ESI hospital is constructed at a place having 12,000 or more insured persons. As ESI medical care is being administered by the State Governments, new sites for ESI hospitals are generally selected on the recommendation State of the Governments. There are 13 fifty beded ESI hospitals already at various stages of construction. These hospitals are located at Tirupati, Nizamabad, Chandigarh, Jamnagar, Shahabad, Belgaum, Nagda, Bediwadi, Rourkela, Mandi, Gobindgarh, Bhilwara, Pali and Tiruchirapally. There is no proposal to set up a new 50-bed ESI hospital in 1998-99.

Implementation of Plantation Labour Act

863. SHRI DAWA LAMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are awarthat throughout the country, the owner of tea estates do not follow the provisions of Plantation Labour Act; and

(b) if so, the State-wise break-up of number of cases where action has been taken against the, so far?

- THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) The Plantations Labour Act, 1951 is administered by the State Governments.
- According to the reviews on the working of the Act for the year 1995 compiled by Labour Bureau, during 1995, 2570 inspections were made, 229 prosecutions were launched and 122 convictions were obtained.

The Plantations Labour Act, 1951 is applicable for Tea, Coffee, Rubber and Cinchona Plantations. The State Government may apply it to any other Plantations. The enforcement Machinery in various States/Union Trritories ensures by inspecting the Plantations that there is no infringement of various provisions of the Plantations Labour Act, 1951.

बेधुआ मुकित मोर्चा और राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया जाना

864. प्रो॰ रामगोपाल यादवः भी ईंश दत्त यादवः

वया श्रम मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे किः

(क) क्या बंधुआ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन से संबद्ध सैकड़ों अमिकों ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रदर्शन के परचार, प्रधान मंत्री को इएपन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त झापन के माध्यम से श्रमिकों द्वारा सरकार से की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी मांग पर बया निर्णय लिया?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण अटिया): (क) जी, हा।

(ख) बंधुआ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय खान मजदूर संघ के सदस्यों द्वारा 20 अगस्त, 1998 को प्रधान मंत्री के कार्यालय को प्रसुत किए गए झापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वांस के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किए जाने, इरियाणा राज्य जिसके लिए श्रम मंत्रालय संबद्ध है, में खानों में कार्य करने वाले कामगारों के लिए पीने के पानी शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं तथा सुरक्ष के प्रावधान संबंधी सांगे शामिल थीं।

(ग) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर बराबर-बराबर सहायता प्रदान करती है। उन क्षेत्रों, जिनमें श्रम कानूनों को कार्यान्वित न किए जाने की घटनाओं की सूचना मिलती है, के नियमित दीरे करने तथा संबंधित श्रम कानूनों के अंतर्गत त्वरित उपाचारात्मक उपाय करने के लिए केन्द्रीय और हरियाणा राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक कृतक बल का मठन किया गया है।